प्रेस विज्ञप्ति

28.01.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई ने 23 जनवरी, 2025 को मुंबई में माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) के समक्ष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत अपनी फर्म मेसर्स रिट्ज कंसल्टेंसी सर्विसेज के माध्यम से बड़े पैमाने पर निवेश धोखाधड़ी करने के आरोप में **अंबर दलाल और अन्य** के खिलाफ अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने 24 जनवरी, 2025 को पीसी का संज्ञान लिया है।

ईडी ने 15 मार्च 2024 को मुंबई के ओशिवारा पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की और बाद में इसे आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू), मुंबई को स्थानांतरित कर दिया। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि अंबर दलाल ने कमोडिटी ट्रेडिंग के जरिए 1.5% से 1.8% प्रति माह रिटर्न का वादा करते हुए 2,000 से अधिक व्यक्तियों से निवेश एकत्र किया। हालांकि, इन वादों को पूरा करने के बजाय, उसने निजी और असंबंधित उपयोगों के लिए धन को डायवर्ट कर दिया। जांच के दौरान पहचानी गई धोखाधड़ी की राशि 564 करोड़ रुपये (लगभग) है। अंबर दलाल एक पोंजी स्कीम चला रहा था, जिसमें वह पहले के निवेशकों को रिटर्न देने के लिए नए निवेश का इस्तेमाल कर रहा था। निवेशकों से एकत्र किए गए धन को अंबर दलाल, उनके परिवार के सदस्यों और उनके सहयोगियों से संबंधित कई बैंक खातों के माध्यम से भेजा गया था और उनके मूल को छिपाने के लिए उन्हें स्तरित किया गया था। धन का एक बड़ा हिस्सा परिवार के सदस्यों के नाम पर संपत्ति खरीदने के लिए इस्तेमाल किया गया था और 15.04 करोड़ रुपये की राशि को एक करीबी परिचित रश्मि प्रसाद के खाते में डायवर्ट किया गया था।

जांच के दौरान, दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में अंबर दलाल, उनके परिवार के सदस्यों और उनके सहयोगियों से संबंधित एक अचल संपत्ति सहित 67 करोड़ रुपये (लगभग) की संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया गया है। कुर्क की गई संपत्तियों में अचल संपत्तियां, बैंक बैलेंस, डीमैट होल्डिंग्स, बीमा पॉलिसियां और वैकल्पिक निवेश फंड में निवेश शामिल हैं।

जांच के दौरान, अंबर दलाल को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में है और आगे की कानूनी कार्यवाही चल रही है। ईडी ने कुर्क की गई संपत्तियों को जब्त करने की मांग की है और धोखाधड़ी से प्राप्त धन की वसूली और अन्य व्यक्तियों की भूमिका की पहचान करने के लिए आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।

आगे की जांच जारी है।